



343

R- 2/0-117

1. अखिलेश
2. नारायण दास
3. आशुतोष
4. ओम
5. कार्तिकेय

पिसरान स्व. शिवरामदास चतुर्वेदी.

6. श्रीमती गीता चतुर्वेदी पत्नी शिवरामदास चतुर्वेदी,

सभी निवासी ग्राम-गड़ेहरा, तहसील-जवा, जिला-रीवा (म0प्र0)

आवेदक / निगरानीकर्तागण

बनाम

1. कन्हैयालाल } पिसरान शीतला प्रसाद
2. विष्णुदेव }
3. चक्रपाणि तनय वंशपती

सभी निवासी ग्राम-गड़ेहरा, तहसील-जवा, जिला-रीवा (म0प्र0)

श्री सुकेश शर्मा द्वारा आज दि. 16.1.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 16.1.17 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अनावेदक / गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील त्योंथर जिला-रीवा दिनांक 27.12.2016 जो प्रकरण क्र. 132अ-6अ/अपील/2014-15 में पारित किया जाकर अनावेदक का आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 एवं धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन स्वीकार किया गया।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधार निम्नलिखित हैं :-

शुभेश शर्मा
16-1-17 23 बौकेट
ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक

R-210/II/17/21वा

8/12/19/10/21वा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
<p>26/12/18</p>	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>मुलेश शर्मा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी <u>ए.ए. शर्मा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>132/326-32/14-15</u> में पारित आदेश दिनांक <u>27-12-16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>21वा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>03/04/19</u> को कलेक्टर जिला <u>21वा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p align="right">सदस्य</p>